तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-12-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 14-12-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14-12-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वादी का वाद स्वीकार किया जाता है वाद विषयक आराजी से प्रतिवादी सं.1 को बेदखल कर कब्जा भूमि मौके पर वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है तदनुसार डिक्री जारी हो विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी: गरिमा लाटा R.A.S.

वाद संख्या :- 39/दावा/16

दायरा दिनांक - 21.06.16

उनवान

1. प्रेमशंकर आ० भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी — वादी

बनाम

1. कंवरलाल आ० कान्हा जाति बैरवा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राज० टिनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक - 14-12-17

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर टी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के गैरखातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं० 585 रकबा 1.53 हैक्टेयर वाके ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादी की कृषि भूमि के पास ही प्रतिवादी सं० 1 की कृषि भूमि स्थित है। प्रतिवादी सं० 1 वादी की कृषि भूमि पर से वादी को

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः....

बेदखल करने के लिये हमेशा प्रयासरत रहता है। क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 वादी की कृषि भूमि को उसकी कृषि भूमि में मिलाकर एक चक बनाना चाहता है। प्रतिवादी सं. 1 वादी की वाद विषयक आराजी पर से बेदखल कर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी सं. 1 अपने परिवार के सदस्यो को अपनेसाथ लेकर मय ट्रेक्टर के वाद विषयक आराजी पर मई 2016 के प्रथम सप्ताह में आया और वादी का बाहर रहने का नाजायज फायदा उठाकर वाद विषयक आराजी को जबरन ताकत के बल अनाधिकृत व अवैध रूप से कब्जा कर लिया। गांववासियों ने फोन पर वादी को इस बाबत सुचना दी। तब वादी गांव बलवन आया और प्रतिवादी सं. 1 के गांव कंवरपुरा जाकर प्रतिवादीसं. 1 को रूबरू गवाहान ओलमा दिया तब प्रतिवादी ने कहा कि मैंने जबरन हांक कर कब्जा कर लिया है, तु जो चाहे वह कर ले। वादी ने अवैध कब्जा छोड़ने का निवेदन प्रतिवादी से किया तो प्रतिवादी सं. 1 ने स्पष्ट रूप से वादी से मना कर दिया यही वादकारण है। वादी को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह वाद विषयक आराजी का कब्जा प्राप्त करे। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित कि जावे कि वाद वर्णित आराजी से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर कब्जा मौके पर वादी को सुपुर्द करने का दिशा निर्देश प्रतिवादी सं 1 को दिया जावे व मुआवजा राशि दिलायी जावे। प्रतिवादी सं. 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादी को कब्जा भूमि सुपुर्द करने के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 व उसके परिवार के सदस्य पुनः उक्त आराजी पर कब्जा नही करे व वादी को काश्त-कारी का कार्य करने से नही रोके।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील

उपखण्ड अधिकारी

अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 स्थान बलवन जो प्रदर्श 1 है तथा मौखिक साक्ष्य में वादी प्रेमशंकर ने स्वयं का शपथ पत्र व वादी की ओर से साक्षी भंवरसिंह हाड़ा व हिम्मतसिंह का शपथ पत्र पेश किया गया।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी का वादी गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी को अपनी कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रतिवादी की स्थिति अतिक्रमी की है। वादी को प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अतः वादी का वाद पत्र डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श सं. 1 के अनुसार वादी खसरा सं. 585 रकबा 1.53 है. का गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 में कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार कोई भी अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या ले रखा है, उस व्यक्ति के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में बेदखली करने के हकदार है, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, बेदखली का भागी होगा। आर टी एक्ट 1955 की धारा 14 में आसामियों की श्रेणियों का प्रावधान है जिसके तीन - प्रकार - खातेदार आसामी, खुदकाश्त

उपखण्ड अधिकारी

के आसामी व गैर खातेदार आसामी आते है। अतः उक्त धाराओं के प्रावधानों के अन्तर्गत व वादी द्वारा पेश वाद पत्र के सलग्न साक्ष्य के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है तथा वाद विषयक आराजी खसरा सं. 585 रकबा 1.53 हैक्टर. वाके ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ़ से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर कब्जा भूमि मौके पर वादी को सुपुर्द करने के दिशा निर्देश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिये जाते हैं। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे फैसला शुमार हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

FD-ड़िगरी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नारवेरी

व इजलास सुश्री गरिमा लाटा R.A.S.

1 प्रेमशंकर आ. भवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बलवन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी —वादी

बनाम 1. कंवरलाल आ. कान्हा जाति बैरवा निवासी ग्राम कवरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ प्रतिवादीगण

दावा बाबत 183,188 R.T.A

मुकदमा नम्बर 39/दावा/16 सन ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे .... व हाजिरी श्री सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर-टी-एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 585 रकबा 1.53 हैक्टर वाके ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ़ से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल कर कब्जा भूमि मौके पर वादी को सुपुर्द करने के दिशा निर्देश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिये जाते है।

निज........ मुबलिग........ बाबत........ खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........ का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14-12-2017 माह........ सन........ को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी नारवेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।